न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध अपील वाद सं0–16/2021–22

सुनील यादव वगै0 बनाम हरेन्द्र सिंह वगै0

आदेश की क्रम एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
02/03/22	आवेदक सुनील यादव, पिता–गुलाब यादव, छतर यादव, गुलाब यादव, दोनों पिता–स्व0 कौलेश्वर महतो, जगदीश यादव, पिता–स्व0 द्वारिका यादव, सुरेश यादव, नरेश यादव, विजय यादव, लखन यादव, संतोष यादव, पिता–दिनेश्वर यादव, ग्राम–गेडे, थाना–प्रतापपुर, जिला–चतरा के द्वारा न्यायालय अंचल अधिकारी, प्रतापपुर का विविध वाद सख्या–07/20–21 में दिनांक–03.11.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से समय अवधि क्षांत करने संबंधी आवेदन के साथ विविध अपील वाद दायर किया गया है। तद्नुसार यह वाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में प्रारंभ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकारों को वर्णित भूमि से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षों द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित कथन समर्पित किया गया। **प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि–**"दिलचंद महतो का वंशावली अपील आवेदन अंकित है, जो अपीलार्थी के साथ दिलचंद महतो का उत्तराधिकारी एवं अपीलार्थी के संबंध को दर्शाता है। यह है कि दिलचंद महतो अपने एकमात्र पुत्र केशो महतो को छोड़कर मृत हुए। केशो महतो भी अपने एकमात्र पुत्र कौलेश्वर महतो को छोड़कर मृत हुए। कौलेश्वर महतो अपने पीछे चार पुत्र दिनेश्वर महतो, छतर महतो, द्वारिका यादव, गुलाब यादव को छोड़कर मृत हुए, जिसमें से दिनेश्वर महतो अपने छः पुत्रों सुरेश यादव, नरेश यादव, विजय यादव, लखन यादव, संतोष यादव एवं संमुख यादव को छोड़कर मृत हुए, जो इस वाद में अपीलार्थी है। यह है स्वीकार है कि अपीलार्थी के पूर्वज दिलचंद महतो का नाम ग्राम–गेड़े, थाना–प्रतापपुर, परगना–कुन्दा, जिला–हजारीबाग वर्तमान जिला–चतरा, थाना संख्या–100, खेवट संख्या–2/4 के खवेटदार के रूप में सर्वे खतियान में नाम दर्ज है। यह है कि खाता संख्या–11 के कुल 16 प्लॉटों अन्तर्गत कुल रकवा–4.65 एकड़ भूमि खेवट संख्या–2/4 अन्तर्गत खेवटदार दिलचंद महतो के महतो के नाम से **बकास्त लगान पानेवाला** दर्ज है। यह है कि जब तक दिलचंद महतो जीवित रहें तब तक दखल कब्जा में रहे हैं। यह है कि दिलचंद महतो की मृत्यु के बाद उनके वारिसानों का	

दखल कब्जा रहा है। यह है कि ना ही दिलचंद महतो एवं ना ही उनके वारिसानों के द्वारा वर्तमान वाद के द्वितीय पक्षकारों का भूमि हस्तांतरण नहीं किया गया है। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद दिनेश्वर यादव, छतर यादव, गुलाब यादव, पिता–स्व0 कौलेश्वर यादव के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–108/3, 110/3, 111/3 पर जमाबंदी कायम हुआ। यह है कि प्रश्नगत भूमि के कुछ भाग पर अपीलार्थीगण का आवासीय मकान, बकरी आवासन हेतु महान बना हुआ है तथा कृषि कार्य भी किया जाता है। यह है कि अचानक द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में हुकुमनामा दिखाकर भूमि का दावा किाय जने लगा। यह है कि अपीलार्थी सुनील यादव अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष विपक्षी 1 से 4 के विरूद्ध कार्रवाई हेतु खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या–99 रकवा–29 डी0 भूमि के संदर्भ में आवेदन दायर किया गया, जो विविध वाद संख्या–07/20–21 के रूप में अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा संधारण करते हुए राजस्व उपनिरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। कर्मचारी द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया। दानों पक्षों की सुनवाई कर अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा दिनांक–3.11.2020 को आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी आदेश दिनांक–03.11.2020 से असंतुष्ट होकर यह अपील वाद दायर किया गया है। यह है कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो खारिज करने के योग्य है। अंचल अधिकारी का आदेश संक्षिप्त अनुमान के आधार पर पारित किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का दखल कब्जा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। अंचल अधिकारी द्वारा कथित हुकुमनामा के आधार पर आदेश पारित किया गया है, जो नियमसंगत नहीं है। यह है कि निम्न न्यायालय को यह ध्यान देना चाहिए था कि 01.01.1946 के बाद भूमि का हस्तांतरण सिर्फ कलक्टर से अनुमति लिए जाने के बाद ही संभव था इस प्रकार कथित हुकुमनामा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अन्तर्गत मान्य नहीं है। यह है कि विपक्षी को कोई अधिकार नहीं था कि गलत कागजातों के आधार पर किसी को भूमि का हस्तांतरण को वैध माना नहीं जायेगा। कोविड 19 के कारण अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा पारित आदेश आवेदकगण से छिपा कर पारित किया गया है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अचंल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि यह कि–यह वर्तमान विविध अपील वाद अपीलार्थी के आवेदन के आधार अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के विविध वाद

संख्या–07/2020–21 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें अंचल अधिकारी, प्रतापपुर ने अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी का लंवे समय से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु दायर आवेदन को अस्वीकृत किया है। यह वर्तमान में दायर अपील वाद स्वीकार करने के योग्य नहीं है। यह है कि अपीलार्थी विरोधाभासी, फर्जी कागजात एवं अनुमान के आधार पर दावा करते है। यह है कि यह अपील वाद में समय सीमा क्षांत किये जाने हेतु संबंधित आवेदन में विलंब हेतु सक्षम कारण नहीं बताया गया है, अतः खारिज करने के योग्य है। यह है कि कुन्दा राज के सुपिरियर जमीन्दार द्वारा विवादित भूमि खाता संख्या–11 की भूमि को दिनानाथ सिंह के पक्ष में वर्ष 1946 बंदोबस्त करके दखल कब्जा प्रदान कर दिया गया था। उसके बाद दिनानाथ सिंह के द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से विवादित भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि भी विभिन्न लोगों को भूमि हस्तान्तरण किया गया है। यह है कि विपक्षी 03 से 04 अपने बिक्रेता से खरीदगी भूमि पर साठ वर्ष की अधिक समय से भी वैध कागजातों के आधार पर काबिज होकर चले आ रहे है। यह है कि खेवटदार के समय से चौथा पीढ़ी के द्वारा फर्जी दावा किया जा रहा है। यह है कि कौलेश्वर यादव के अन्य पुत्र दिनेश्वर महतो, छतर महतो एवं द्वारिका महतो के अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष मौजा–गेड़े खाता संख्या–11 की भूमि पर दावा नहीं किया गया है, परन्तु असमाजिक तत्वों की मदद से लबें समय के बाद सुनील यादव के द्वारा झुठा दावा पेस किया गया है, जो खारिज करने के योग्य है। यह है कि खेवटदार दिलचंल महतो या उनके पुत्र केशो महतो या उनके पुत्र कौलेश्वर महतो अपने जीवन काल में बकास्त भूमि का लगान निर्धारण हेतु कभी भी दावा नहीं किया गया। यह है कि दिलचंद महतो मध्यवर्ती थे, उनको सिर्फ लगान जमा करके सुपिरियर जमीन्दार को रौल सेस जमा करना होता था। दिलचंद महतो रौल सेस जमीन्दार नहीं देने सके तो खाता संख्या–11 की भूमि जमीन्दार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था। यह है कि सुपिरियर जमीन्दार के द्वारा कुन्दा राज के खाता संख्या–11 के साथ–साथ खाता संख्या–01 की भूमि बकास्त मालिक देवधारी महतो एवं खाता संख्या–24 की भूमि बकास्त मालिक केशो महतो से भी रौल सेस, लगान जमा नहीं होने कारण खाता संख्या–02, 03, 04, 12, 25 एवं 26 की भूमि को भी जमीन्दार द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया गया था।" द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि–"दिनानाथ सिंह, पिता–तृगुणा सिंह, मौजा–प्रतापपुर के मार्जिनल रैयत थे। उन्होंने जमीन्दार से मौजा–गेड़े खाता संख्या–11 एवं अन्य खाते की भूमि सहित खाता संख्या–01, 02, 03,04, 05, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 30 कुल रकवा–28.98 भूमि दिनांक–11.07.1946 को

हुकुमनामा के माध्यम से 95.50 रूपये का सलामी लेकर बंदोबस्ती प्राप्त किया। बंदोबस्त रैयत दिनानाथ सिंह ने लगान देकर जमीन्दारी रसीद प्राप्त किये। दिनानाथ सिंह ने जमीन्दारी उन्मूलन के बाद 28.09 एकड़ भूमि का लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किये है। बुझारत समय के दौरान दिनानाथ सिंह, पिता–तृगुणा सिंह के नाम से खाता संख्या–11, रकवा–4.65 एकड़ भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि का विवरणी भी बुझारत पंजी में दर्ज है। यह है कि सुनील यादव के द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है कि खाता संख्या–01, 02, 03, 04, 05, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28 एवं **11 कुल रकवा–28.98 एकड़** भूमि का जमाबंदी पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–82/1 पर दर्ज है। हल्का कर्मचारी द्वारा यह भी अंकित किया है कि आवेदक सुनील यादव के दादा कौलेश्वर महतो के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। आवेदक के दादा केशो महतो की वास्तविकता की जानकारी थी इसलिए उन्होंने कभी दावा नहीं किया है। यह है कि दिनानाथ सिंह के द्वारा मौजा–गेडे, खाता संख्या–01, 02, 03, 04, 05, 11, 12 एवं 25 रकवा–11.00 एकड़ भूमि निबंधित सेल डीड संख्या–1398, दिनांक–15.03.2001 के माध्यम से 40000 (चालीस हजार रूपये) में बृजलाल यादव को तथा मौजा–गेड़े खाता संख्या–01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13 एवं 25 रकवा–11.00 एकड़ भूमि हेमलता देवी, पति–बृजलाल यादव को निबंधित सेल डीड संख्या–1392, दिनांक–15.03.2001 के माध्यम से 40000 (चालीस हजार रूपये) में बिक्री किया गया है। उपरोक्त खरीदारों का दाखिल खारिज वाद संख्या–17/2003–04 स्वीकृत किया गया है। इसके विरूद्ध दिलचंद यादव के वारिसानों के द्वारा कोई अपील या रिवीजन वाद दायर नहीं किया गया है एवं सुनील यादव के खाता संख्या–11 का बकाया लगान स्वीकृत करने हेतु आवेदन के साथ अनुरोध किया जा रहा है। अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी संख्या–01 एवं 02 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है, इससे पता चलता है कि अपीलार्थी को यह जानकारी ही नहीं है कि खाता संख्या–11 रकवा–4.65 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा किसका है। खरीदार हेमलता देवी एवं बृजलाल यादव के नाम से दाखिल खारिज 03–04 वर्ष पहले ही स्वीकृत हो चुका है, इस तरह निबंधित सेल डीड के माध्यम से प्राप्त भूमि का केवल हेमलता देवी एवं बृजलाल यादव है। हरेन्द्र सिंह एवं शैलश सिंह, पिता–स्व0 दिनानाथ सिंह को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा माननीय सिविल कोर्ट एवं उच्च न्यायालय से पारित आदेश का उदाहरण देते हुए उल्लेखित किया है कि–यह स्थायी नियम है कि लंबे समय से कायम जमाबंदी को सक्षिप्त कार्रवाई में रद्द नहीं किया जा सकता है।"

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपील आवेदन को खारिज करने तथा हेमलता देवी एवं बृजलाल यादव के नाम से कायम जमाबंदी को यथावत रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि– आवेदक सुनील यादव पिता गुलाब यादव ग्राम–गेडे द्वारा समर्पित आवेदन पत्र का अवलोकन किया। ग्राम–गेडे के थाना संख्या–100 के अंतर्गत खाता संख्या–11, प्लॉट सख्या–16 वगै0 रकवा–4.65 ए0 विवादित भूमि से संबंधित है, प्रश्नगत विवादित भूमि का राजस्व उपनिरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग की गई, राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–गेडे के थाना सख्या–100 के अंतर्गत खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या क्रमशः–16, 18, 19, 22, 30, 46, 53, 62, 64, 71, 89, 90, 92, 95, 94, 99 कुल रकवा–4.65 ए0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार बकास्त खाते की भूमि है। सर्वे खतियान में दिलचन्द महतो के नाम से दर्ज है, एवं खेवट संख्या–2/4 में भूस्वामी दिलचन्द महतो के नाम से दर्ज है। ग्राम–गेडे के थाना सख्या–100, के अंतर्गत खाता संख्या–11, प्लॉट सख्या क्रमशः–16, 18, 19, 22, 30, 46, 53, 62, 64, 71, 89, 90, 92, 95, 94, 99 कुल रकवा–4.65 ए0 भूमि पुराना पंजी–2 के पृष्ट संख्या–46 से लाकर पंजी–2 के पृष्ट संख्या–82/1 पर दीनानाथ सिंह के नाम से दर्ज किया गया है। कुल रकवा–4.65 ए0 भूमि का खतियान के आधार पर जामबंदी कायम कर मालगुजारी वसूली करने का आवेदन पत्र समर्पित किया गया है, खाता संख्या–11 के अलावे खाता संख्या–1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 30 को मिलाकर कुल रकवा–28.98 ए0 भूमि की जमाबंदी दीनानाथ सिंह, पिता–तृगुणा सिंह के नाम से जमाबंदी कायम की गई है, जिसका सरकारी लगान रसीद वर्ष 1981–82 तक निर्गत कि गई है, प्रश्नगत विवादित भूमि बिक्री के पश्चात् दीनानाथ सिंह के नाम से रकवा–0.08 ए0 भूमि शेष है। बुझारत पंजी में कौलेश्वर महतो पिता केशो महतो के नाम से खाता संख्या–11 की भूमि दर्ज हैं, प्रश्नगत भूमि दीनानाथ सिंह पिता–तृगुणा सिंह ग्राम–प्रतापपुर को बजरीय बन्दोबस्ती से प्राप्त है, यह भी बुझारत पंजी में दर्ज है, पंजी–2 में कौलेष्वर महतो के नाम से खाता संख्या–11 की जमाबंदी कायम नही कि गई है। राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में दोनों पक्षो को अपने–अपने भूमि दावा से संबंधित कागजात समर्पित करने हेतु मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय के मुहर के साथ नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के आलोक में दोनों पक्ष अपने–अपने भूमि दावा से संबंधित कागजात समर्पित

किया गया है।, प्रथम पक्ष सुनील यादव द्वारा सर्वे खतियान की छायाप्रति लगान रसीद एवं मकान निर्माण से संबंधित फोटो समर्पित किया गया है एवं द्वितीय पक्ष री हरेन्द्र सिंह द्वारा हुकुमनामा की छायाप्रति जमीन्दारी रसीद एवं सरकारी लगान रसीद वर्ष 1981–82 से 2020–21 तक का समर्पित किया गया है, एवं प्रथम पक्ष द्वारा बतलाया गया की प्रश्नगत भूमि मेरे दादा दिलचन्द महतो के नाम से सर्वे खयितान में बकास्त खाता मालिक दर्ज है। हमलोगो को खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या–99 में रकवा–0.29 ए0 भूमि पर दखल कब्जा है। आर्थिक स्थिति ठीक नही रहने के कारण जमाबंदी कायम नही करा सके एवं प्रथम पक्ष द्वारा यह भी बतलाया गया की खाता सख्या–11, प्लॉट संख्या–22 पर हमलोगों को लगभग 0.13 ए0 भूमि पर दखल कब्जा है, स्व0 दीनानाथ सिंह पिता–तृगुणा नाथ सिंह द्वारा फर्जी जमाबंदी कायम कराया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के बातो को विरोध करते हुए बताया गया कि ग्राम गेडे की थाना संख्या–100 के अंतर्गत खाता सख्या–11, प्लॉट संख्या–16 वगै0 रकवा–4.65 ए0 एवं खाता सख्या–1,2 वगै0 कुल रकवा–28.98 ए0 भूमि भूतपूर्व राजा राजा राजबल्लभ नाथ सिंह द्वारा मेरे पिता स्व0 दीनानाथ सिंह पिता तृगुणा नाथ सिंह बजरीय हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है, भूमि की जमाबंदी मेरे पिता स्व0 दीनानाथ सिंह के नाम से कायम था वार्णित भूमि मेरे पिताजी अपने जीवन काल में ही निबंधित केवाला संख्या–1398 दिनांक–15.03.2011 के द्वारा बृजलाल यादव पिता स्व0 बान्ध यादव ग्राम–प्रतापपुर के नाम से रकवा–11.00 ए0 भूमि एवं निबंधित केवाला संख्या–1395, दिनांक–15.03.2001 के द्वारा हेमलता देवी पति बृजलाल यादव ग्राम–प्रतापपुर के नाम से रकवा–11.00 ए0 भूमि बिक्री कर दिये थे केवालाधारी बृजलाल यादव एवं हेमलात देवी ग्राम–प्रतापपुर को सम्पूर्ण भूमि पर दखल कब्जा है। प्रथम पक्ष द्वारा अपने भूमि दावा से संबंधित खाता संख्या–11 से संबंधित लगान रसीद की छयाप्रति प्रस्तुत करते हुए बतलाया गया की खाता सख्या–11 कुल अंश पर राजस्व रसीद निर्गत होता हैं, प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद का सत्यापन पुनः राजस्व उपनिरीक्षक प्रतापपुर से कराया गया राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम गेडे थाना संख्या–100 अंतर्गत खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या–99 रकवा–0.29 ए0 की जमाबंदी नया पंजी–2 के पृष्ट संख्या–108/3 पर दिनेश्वर यादव पिता–कौलेश्वर यादव के नाम से रकवा–0.07 1/4 ए0 पंजी 2 के पृष्ट सख्या–109/3 पर छतर यादव, पिता–स्व0 कैलेश्वर यादव के नाम से रकवा–0.07 1/4 ए0 पंजी 2 के पृष्ट संख्या–110/3 पर द्वारिका यादव, पिता–स्व0 कौलेश्वर यादव के नाम से रकवा–0.07 1/4 ए0 भूमि एवं गुलाब यादव, पिता–स्व0 कौलेश्वर यादव के

नाम से रकवा–0.07 1/4 ए0 भूमि चारो जमाबंदी मिला कुल रकवा–0.29 ए0 भूमि का उतराधिकारी केश सख्या–173/2007–08 द्वारा कायम की गई है। जो पुराना पंजी–2 में दर्ज पृष्ट संख्या–83/1, 84/1, 85/1, 99/1, 98/1, से लाया गया दर्ज है, परंतु पुराना पंजी 2 के उपरोक्त पृष्ट संख्या पर खाता संख्या–11 की जमाबंदी कायम नहीं है, राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्ष द्वारा समर्पित कागजातों का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट प्रतित होता है कि प्रथम पक्ष के सदस्यों के पास ग्राम–गेडे के थाना संख्या–100 के अंतर्गत खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या–16 वगै0 कुल रकवा–4.65 ए0 भूमि का खतियान के अलावे अन्य कोई दस्तावेज या साक्ष्य उपलब्ध नही करा पायें जबकि द्वितीय पक्ष के नाम से पूर्व से ही जमाबंदी कायम था, एवं द्वितीय पक्ष द्वारा रकवा–2.00 ए0 भूमि बृजलाल यादव एवं हेमलता देवी ग्राम–प्रतापपुर के नाम से निबंधित केवाला करा दिया गया है, एवं सम्पूर्ण भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से हासिल है। अतः उपर्युक्त विवेचनों एवं प्रस्तुत साक्ष्य के एवं उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर प्रथम पक्ष द्वारा मौजा गेडे थाना प्रतापपुर के अंतर्गत थाना संख्या–100 खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या–16 वगैरह कुल रकवा–4.65 ए0 भूमि का जमाबंदी कायम करने से संबंधित आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। चूँकि निम्न न्यायालय के क्षेत्रान्तर्गत नहीं आता है।

उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों द्वारा समर्पित लिखित कथन एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर निम्नांकित मुख्य बिन्दु परिलक्षित होते है :–

1. बकास्त भूमि का मामला ।
2. प्रथम पक्ष के द्वारा खेवटदार दिलचंद महतो के वंशज होने के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा।
3. द्वितीय पक्ष के द्वारा हुकुमनामा एवं निबंधित सेल डीड के माध्यम से भूमि प्राप्त होने का दावा
4. उभय पक्षों का जमाबंदी कायम होने से संबंधी मामला।

1) बकास्त भूमि का मामला :– अंचल अधिकारी, प्रतापपुन ने अपने आदेश पत्रक में उल्लेखित किया है कि–''ग्राम–गेडे के थाना सख्या–100 के अंतर्गत खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या क्रमशः–16, 18, 19, 22, 30, 46, 53, 62, 64, 71, 89, 90, 92, 95, 94, 99 कुल रकवा–4.65 ए0 भूमि सर्वे खतियान के अनुसार **बकास्त खाते की भूमि** है। सर्वे खतियान में दिलचन्द महतो के नाम से दर्ज है, एवं खेवट संख्या–2/4 में भूस्वामी दिलचन्द महतो के नाम से दर्ज है।

2) प्रथम पक्ष के द्वारा खेवटदार दिलचंद महतो के वंशज होने के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा :–प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित

कथन में उल्लेखित किया है कि–"दिलचंद महतो का वंशावली अपील आवेदन अंकित है, जो अपीलार्थी के साथ दिलचंद महतो का उत्तराधिकारी एवं अपीलार्थी के संबंध को दर्शाता है। यह है स्वीकार है कि अपीलार्थी के पूर्वज दिलचंद महतो का नाम ग्राम–गेड़े, थाना–प्रतापपुर, परगना–कुन्दा, जिला–हजारीबाग वर्तमान जिला–चतरा, थाना संख्या–100, खेवट संख्या–2/4 के खेवटदार के रूप में सर्वे खतियान में नाम दर्ज है। यह है कि खाता संख्या–11 के कुल 16 प्लॉटों अन्तर्गत कुल रकवा–4.65 एकड़ भूमि खेवट संख्या–2/4 अन्तर्गत खेवटदार दिलचंद महतो के महतो के नाम से **बकास्त लगान पानेवाला** दर्ज है। यह है कि जब तक दिलचंद महतो जीवित रहें तब तक दखल कब्जा में रहे हैं। यह है कि दिलचंद महतो की मृत्यु के बाद उनके वारिसानों का दखल कब्जा रहा है। यह है कि ना ही दिलचंद महतो एवं ना ही उनके वारिसानों के द्वारा वर्तमान वाद के द्वितीय पक्षकारों का भूमि हस्तांतरण नहीं किया गया है। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद दिनेश्वर यादव, छतर यादव, गुलाब यादव, पिता–स्व0 कौलेश्वर यादव के नाम से पंजी–2 के पृष्ठ संख्या–108/3, 110/3, 111/3 पर जमाबंदी कायम हुआ। यह है कि प्रश्नगत भूमि के कुछ भाग पर अपीलार्थीगण का आवासीय मकान, बकरी आवासन हेतु मकान बना हुआ है तथा कृषि कार्य भी किया जाता है। यह है कि अचानक द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में हुकुमनामा दिखाकर भूमि का दावा किया जाने लगा।

3) **<u>द्वितीय पक्ष के द्वारा हुकुमनामा एवं निबंधित सेल डीड के माध्यम से भूमि प्राप्त होने का दावा</u>** :–द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेखित किया गया है कि–"दिनानाथ सिंह, पिता–तृगुणा सिंह, मौजा–प्रतापपुर के मार्जिनल रैयत थे। उन्होंने जमीन्दार से मौजा–गेड़े खाता संख्या–11 एवं अन्य खाते की भूमि सहित खाता संख्या–01, 02, 03,04, 05, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 30 कुल रकवा–28.98 भूमि दिनांक–11.07. 1946 को हुकुमनामा के माध्यम से 95.50 रूपये का सलामी लेकर बंदोबस्ती प्राप्त किया।" यह भी उल्लेखित है कि–"यह है कि दिनानाथ सिंह के द्वारा मौजा–गेडे, खाता संख्या–01, 02, 03, 04, 05, 11, 12 एवं 25 रकवा–11.00 एकड़ भूमि **निबंधित सेल डीड संख्या–1398, दिनांक– 15.03.2001** के माध्यम से 40000 (चालीस हजार रूपये) में बृजलाल यादव को तथा मौजा–गेड़े खाता संख्या–01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13 एवं 25 रकवा–11.00 एकड़ भूमि हेमलता देवी, पति–बृजलाल यादव को **निबंधित सेल डीड संख्या–1392, दिनांक–15.03.2001** के माध्यम से 40000 (चालीस हजार रूपये) में बिक्री किया गया है। उपरोक्त खरीदारों का दाखिल खारिज वाद संख्या–17/2003–04 स्वीकृत किया गया है। इसके विरूद्ध दिलचंद यादव के वारिसानों के द्वारा कोई अपील या रिवीजन वाद दायर नहीं किया गया है एवं सुनील यादव के खाता संख्या–11 का बकाया लगान स्वीकृत करने हेतु आवेदन के साथ अनुरोध किया जा रहा है। अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी संख्या–01 एवं 02 को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है, इससे पता चलता है कि अपीलार्थी को यह जानकारी ही नहीं है कि खाता संख्या–11

रकवा–4.65 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा किसका है। खरीदार हेमलता देवी एवं बृजलाल यादव के नाम से दाखिल खारिज 03–04 वर्ष पहले ही स्वीकृत हो चुका है, इस तरह निबंधित सेल डीड के माध्यम से प्राप्त भूमि का केवल हेमलता देवी एवं बृजलाल यादव है। हरेन्द्र सिंह एवं शैलश सिंह, पिता–स्व0 दिनानाथ सिंह को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है।''

4) उभय पक्षों का जमाबंदी कायम होने से संबंधी मामला:–अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के आदेश पत्रक में उल्लेखित है कि–''ग्राम–गेडे के थाना सख्या–100, के अंतर्गत खाता संख्या–11, प्लॉट सख्या क्रमशः–16, 18, 19, 22, 30, 46, 53, 62, 64, 71, 89, 90, 92, 95, 94, 99 कुल रकवा–4.65 ए0 भूमि पुराना पंजी–2 के पृष्ट संख्या–46 से लाकर पंजी–2 के पृष्ट संख्या–82/1 पर दीनानाथ सिंह के नाम से दर्ज किया गया है। यह भी उल्लेखित है कि– प्रथम पक्ष (सुनील यादव) के द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद का सत्यापन पुनः राजस्व उपनिरीक्षक प्रतापपुर से कराया गया राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम गेडे थाना संख्या–100 अंतर्गत खाता संख्या–11, प्लॉट संख्या–99 रकवा–0.29 ए0 की जमाबंदी नया पंजी–2 के पृष्ट संख्या–108/3 पर दिनेश्वर यादव पिता–कौलेश्वर यादव के नाम से रकवा–0.07 1/4 ए0 पंजी 2 के पृष्ट सख्या–109/3 पर छतर यादव, पिता–स्व0 कैलेश्वर यादव के नाम से रकवा–0.07 1/4 ए0 पंजी 2 के पृष्ट संख्या–110/3 पर द्वारिका यादव, पिता–स्व0 कौलेश्वर यादव के नाम से रकवा–0.07 1/4 ए0 भूमि एवं गुलाब यादव, पिता–स्व0 कौलेश्वर यादव के नाम से रकवा–0.07 1/4 ए0 भूमि चारो जमाबंदी मिला कुल रकवा–0.29 ए0 भूमि का उतराधिकारी केश सख्या–173/2007–08 द्वारा कायम की गई है। जो पुराना पंजी–2 में दर्ज पृष्ट संख्या–83/1, 84/1, 85/1, 99/1, 98/1, से लाया गया दर्ज है, परंतु पुराना पंजी 2 के उपरोक्त पृष्ट संख्या पर खाता संख्या–11 की जमाबंदी कायम नहीं है। **साथ ही साथ द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने यह उल्लेखित किया है कि–''यह भी उल्लेखित है कि**–''यह है कि दिनानाथ सिंह के द्वारा मौजा–गेडे, खाता संख्या–01, 02, 03, 04, 05, 11, 12 एवं 25 रकवा–11.00 एकड़ भूमि **निबंधित सेल डीड संख्या–1398, दिनांक– 15.03.2001** के माध्यम से 40000 (चालीस हजार रूपये) में बृजलाल यादव को तथा मौजा–गेड़े खाता संख्या–01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13 एवं 25 रकवा–11.00 एकड़ भूमि हेमलता देवी, पति–बृजलाल यादव को **निबंधित सेल डीड संख्या–1392, दिनांक–15.03.2001** के माध्यम से 40000 (चालीस हजार रूपये) में बिक्री किया गया है। उपरोक्त **खरीदारों का दाखिल खारिज वाद संख्या–17/2003–04** स्वीकृत किया गया है।''

उपरोक्त तथ्यों के क्रम प्रथम पक्ष के द्वारा अपने संबंधित खतियान, रसीद एवं जमाबंदी कायम होने तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा हुकुमनामा के माध्यम से बिक्रेता को बंदोबस्त होने, जमाबंदी कायम होने, तथा खरीदारों का दाखिल खारिज स्वीकृत होने के आधार दावा किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि

के खाता संख्या–11 बकास्त खाते की भूमि है। अतः संबधित भूमि के संदर्भ में स्वत्व का मामला प्रतीत होता है। इस न्यायालय से कोई निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। संबंधित पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय/सिविल कोर्ट की शरण में जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, प्रतापपुर को भेंजे।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

02/03/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

02/03/23

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2023.08.28 23:12:22 -07:00
Location: 2409:40e5:9e:758a:b92c:7818:9d7f:7e68